207

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 13/10/06

क्रमांक एफ 44–34/2006/20–2 : राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्कूली विद्यार्थियों को केरियर काउंसलिंग के लिए प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए । इस प्रकोष्ठ में संस्था के एक व्याख्याता को प्रभारी बनाया जाए । प्रकोष्ठ के अंतर्गत कैरियर मार्गदर्शन लाईब्रेरी तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से 1/– रुपये प्रतिमाह की दर से रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क एकत्रित किया जाये । यह राशि संबंधित विद्यालय द्वारा एकत्र कर अपने पास रखी जावेगी एवं इस राशि से इस योजना पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जा सकेगा । जो राशि छात्रों से एकत्र की जा रही है वह युक्तियुक्त तरीके से खर्च हो इस व्यय के ऑडिट की व्यवस्था भी की जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(पुष्पलता सिंह)
उप सचिव
म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्र०एफ 44–34/20–2/2006 भोपाल, दिनांक 18-10-06

प्रतिलिपि:–

1– आयुक्त लोक शिक्षण, म०प्र०
2– आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र०
3– आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग भोपाल
4– समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
5– समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म०प्र० की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता जिलान्तर्गत उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
7– निदेशक स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, महिला पॉलिटेक्निक, ओल्ड आइ०आई०एम० बिल्डिंग, राजेन्द्र नगर इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग